

राजस्थान सरकार  
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:प.9(126)राज.-6/2012/86

जयपुर, दिनांक: 23/9/2021

:—अधिसूचना:—

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा जिला भीलवाड़ा, बाड़मेर, टोंक, जयपुर, राजसमन्द, बांसवाड़ा, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरु, जोधपुर की सभी तहसीलों के समस्त ग्रामों का डी-नोवो हाई रिजोल्यूशन सेटेलार्इट इमेजरी (एचआरएसआई) व डीजीपीएस/ईटीएस की सहायता से जी.आई.एस. प्लेटफार्म पर डिजिटल सर्वे/री-सर्वे (स्पाशियल डाटा) एवं नया डिजिटल भू-अभिलेख तैयार करने संबंधी कार्यवाही एवं निर्दिष्ट संक्रियाओं के भार साधन हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित जिले के क्षेत्रों के लिए उनके सामने कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित भू-प्रबन्ध अधिकारियों को अतिरिक्त भू-अभिलेख अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

सारणी

क्र.स.	नाम जिला	भू-अभिलेख अधिकारी
1	2	3
1.	भीलवाड़ा	भू-प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाड़ा
2.	बाड़मेर	भू-प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर
3.	टोंक	भू-प्रबन्ध अधिकारी, टोंक
4.	जयपुर	भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर
5.	राजसमन्द	भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर
6.	बांसवाड़ा	भू-प्रबन्ध अधिकारी, उदयपुर
7.	झालावाड़	भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा
8.	हनुमानगढ़	भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर
9.	श्रीगंगानगर	भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर
10.	चूरु	भू-प्रबन्ध अधिकारी, बीकानेर
11.	जोधपुर	भू-प्रबन्ध अधिकारी, जोधपुर

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
23/09/2021  
(रामचरन शर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
9. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र में असाधारण अंक दिनांक 23/09/2021 प्रकाशन हेतु।
10. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
11. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

  
शासन/उप सचिव 23/09/2021